न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 47/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00364

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
वेनाराम पुत्र धनाराम जाति सिरवी, निवासी घेनड़ी, तहसील रानी जिला पाली (राज.)		सरकार जरिये उप तहसीलदार खिवाड़ा, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील : 05/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/10

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. केसाराम चौधरी पुत्र धन्नाराम 2. देवाराम चौधरी पुत्र धन्नाराम, जातिगण सिरवी, निवासी–घेनड़ी, तहसील रानी (राज.) हाल नवसारी, जिला नवसारी (गुजरात)		सरकार जरिये उप तहसीलदार खिवाड़ा, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल सोनी
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/02/2021

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाड़ा के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 100/2020 सरकार बनाम वेनाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपीलें म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपीलें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उक्त दोनों अपीलें एक ही आदेश की विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने से दोनों अपीलों को समेकित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का घेनड़ी ने अपीलाण्ट को ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 393 रकबा 00.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क की भूमि दीवार बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 100/2020 दर्ज कर, अपीलाण्टगण को सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2020 को उपस्थित होने बाबत एक संयुक्त नोटिस जारी किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया, जो अपीलाण्ट वेनाराम से तामील करवाया गया। जिस पर अपीलाण्ट मातहत अदालत में दिनांक 08.10.2020 को पेश हुआ तथा अतिक्रमण हटाने बाबत समय चाहा। इसके बावजूद रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 12.10.2020 को अपीलाण्टगण को अनुपस्थित मानते हुए, एकतरफा निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्टगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों अपीलाण्ट के नाम पृथक–पृथक नोटिस जारी नहीं किए गए है, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार, प्रत्येक पक्षकार के नाम पृथक–पृथक नोटिस जारी किए जाने चाहिए थे तथा सभी पक्षकार के नाम जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने के पश्चात, उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए जाने के बाद कोई भी निर्णय पारित किया जाना चाहिए, लेकिन मातहत अदालत ऐसा नहीं कर विधि की भारी भूल की है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्टगण को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलाण्टगण देवाराम व केसाराम नवसारी(गुजरात) में काफी वर्षो से निवासरत है, तो उनके द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किस प्रकार किया गया। अपीलाण्टगण ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटा दिया है, जो मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2020 से स्पष्ट है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 15.12.2020 को यानि गिरफ्तारी के दिन के पहले नहीं थी। जैर अपील आदेश की नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद न्यायिक दृष्टान्त यथा 74 RRD 456(a), 96 RRD 585, 2011(2) RRT 912 and 99RRC 471 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने अपीलाण्टगण स्वयं एवं मौतबिरान की उपस्थित में जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्टगण द्वारा पूनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्टगण के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्टगण खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाण्टगण द्वारा दोनों अपील एक आदेश की विरूद्ध पेश की गई है, इसलिए दोनों अपीलों को समेकित किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलाण्ट वेनाराम को दिनांक 15.12.2020 को न्यायिक हिरासत में लिया गया, तब उसे जैर अपील आदेश की जानकारी हुई, इससे जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को समय पर नहीं होना स्पष्ट है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतः न्याय की दृष्टि से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्टगण द्वारा पूर्व में ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 393 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क की भूमि पर दीवार बनाकर अतिक्रमण करने पर, पटवारी हल्का घेनड़ी द्वारा उसे मौतबिरानों की उपस्थिति में भौतिक रूप से बेदखल किया था। जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न बेदखली फर्द से होती है। उसी आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः संवत् 2077 में अतिक्रमण किए जाने से उप तहसीलदार खिवाड़ा ने पटवारी हल्का घेनड़ी की टी.पी. रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2020 को प्रकरण संख्या 100/2020 दर्ज कर अपीलाण्टगण के नाम एक संयुक्त नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट वेनाराम से तामील हुआ। जिस पर वह दिनांक 08.10.2020 को अपीलाण्ट ने मातहत अदालत में उपस्थित होकर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा कब्जा हटाने बाबत समय चाहा। इसके पश्चात दिनांक 12.10.2020 को अपीलाण्ट न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके द्वारा किया गया अतिचार, जो पश्चातवृती अतिचार की श्रेणी में आने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत तीनों अपीलाण्टगण को जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/– रूपये जुर्माने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने 74 RRD 456 (a) Ram Chandra V/S Khorkhi में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि " Civil P.C., O.5, R.11-Joint notice in name of several defts, bed in law and unwarranted-Notices to be sent separately in name of each party. " जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तीन पक्षकार बनाये गये है तथा तीनों का एक ही संयुक्त नोटिस जारी किया गया है, जबकि राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल के भाग ''क'' अध्याय ''पांच'' नियम 48 (क) व (ग) के अनुसार किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों के नाम पृथक–पृथक नोटिस जारी किया जाना चाहिए एवं सभी पक्षकारों की विधिनुसार तलबी होना आज्ञापक है। इसके साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी किसी भी प्रकरण के सभी पक्षकारों की प्रोपर तामील होने के पश्चात, उनको सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत नोटिस जारी नहीं किए गए एवं न ही विधिवत तामील हुई, मात्र एक पक्षकार की तामीली के आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्टगण ने जैर अपील आराजी से कब्जा हटा दिया है, जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.12.2020 से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्टगण का वर्तमान में जैर अपील आराजी पर कब्जा नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगण के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल कारावास के आदेश में से अपीलाण्ट श्री वेनाराम द्वारा भूगती हुई सजा में से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

शेष रहे दिवसों की सजा को तथा अपीलाण्ट श्री केसाराम व देवाराम के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है। मातहत अदालत द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली